बहुजन हिताय!
बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 258 ● नई दिल्ली ● शनिवार 01 अगस्त 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

डीएम के निर्देश पर एसओसी न्यायालय की औचक जांच, अधिकारी के आवास से 26 पत्रावलियां बरामद

कुशीनगर। जिलाधिकारी के निर्देश पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी पडरौना न्यायालय की त्रिस्तरीय औचक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) पडरौना डॉ. संतराज सिंह तथा उप जिलाधिकारी (न्यायिक) हाटा विवेकशील यादव की संयुक्त टीम ने 30 जुलाई को न्यायालय का निरीक्षण किया। जांच में कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पर आदेश हेतु सुरक्षित 50 पत्रावलियां दर्ज मिलीं, जबकि मौके पर केवल 14 पत्रावलियां उपलब्ध कराई गई। जांच के दौरान एसओसी संतोष कुमार के सरकारी आवास से 26 पत्रावलियां बरामद की गई, जिन्हें न्यायालय लाया गया।

'पेलेट गन क्या होती है जनता को नहीं पता', पूर्व एसीपी ने संसद में दिए गए बयानों पर उठाए सवाल

दिल्ली । दिल्ली पुलिस महासंघ ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने संसद में बैठे नेताओं के पुलिस कार्रवाई संबंधी बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये नेता पुलिस अधिकारी या कानूनी विशेषज्ञ नहीं हैं। कुकरेती ने केंद्रीय गृह मंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराने वाले बयानों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने पेलेट गन के बारे में जनता में फैलाई जा रही गलतफहमी को भी दूर किया। कुकरेती ने स्पष्ट किया कि आम जनता को पेलेट गन की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना भ्रामक बताया। पूर्व एसीपी ने छात्रों के संविधानिक और मौलिक अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि विरोध प्रदर्शन होते हैं और होने भी चाहिए। हालांकि, उन्होंने भीड़ नियंत्रण को एक अलग विषय बताया। कुकरेती ने कहा कि भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जब भीड़ हिंसक और अनियंत्रित हो जाती है, तो स्थिति बदल जाती है। कुकरेती ने बताया कि जब कोई भीड़ हिंसक हो जाती है, तो उसका हर सदस्य जिम्मेदार होता है। उन्होंने कहा कि जब भीड़ उन्मादी होकर पत्थर, लाठी और अन्य वस्तुएं फेंकती है। बैरिकेड तोड़ती है और धारा 163 की चेतावनियों को नजरअंदाज करती है। ऐसे में पुलिस के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। उन्होंने कहा कि चरम परिस्थितियों में गोलीबारी अपरिहार्य हो सकती है और कानून भी इसकी अनुमति देता है। पूर्व एसीपी ने जोर देकर कहा कि जब किसी पुलिस अधिकारी का जीवन सीधे खतरे में होता है। तब उन्हें मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। ऐसे समय में राज्यपाल, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। जमीन पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी को अपनी जान, जनता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का निर्णय लेना होता है। कुकरेती ने संसद पर लोगों का हमला करना अराजकता का सबसे बड़ा कार्य बताया।

संसद परिसर में साधु के भेष में प्रदर्शन पर नया विवाद: संत समाज ने क्यों जताई नाराजगी, स्पीकर से क्या मांग की?

नई दिल्ली। संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन पर संत समाज ने नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसे साधु-संतों और भगवा वस्त्र का अपमान बताया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्रवाई की मांग की। दरअसल, विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया

। इसमें भगवा वस्त्र पहने सांसद पप्पू यादव प्रतीकात्मक रूप से चढ़ावा बटोरते नजर आए। जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसद चढ़ावा चढ़ाते नजर आए। इस दौरान कई अन्य विपक्षी सांसद भी मौजूद रहे।

अखिल भारतीय संत समिति ने क्या कहा?

साधुओं के भेष में विपक्ष के प्रदर्शन पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को सरकार या भाजपा का अधिकार है। लेकिन साधु-संतों क वेशभूषा का उपयोग कर पूरे संत समाज पर चोरी का आरोप लगाने जैसा संदेश अनुचित है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि इस तरह का प्रदर्शन संत परंपरा और भगवा वस्त्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा, अगर इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही है। जो भी कानूनी फैसला होगा, संत समाज उसे स्वीकार करेगा। सरस्वती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी दोहराई।

इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश की आजादी से लेकर विभाजन तक और विभाजन से आज तक कांग्रेस और अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार संतों, भगवा और सनातन का अपमान करता आया है। साक्षी महाराज ने कहा, जिस तरह इन्होंने अपने प्रदर्शन में भगवान राम और चढ़ावे के मुद्दे को शामिल करके सनातन का अपमान करने की कोशिश की और कालनेमि जैसा अभिनय किया, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने सनातन का अपमान किया है। लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह की हरकतों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए।

'आप बीजेपी के हो क्या?': पुलिसवालों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के घायल जवानों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया- आप बीजेपी के हो क्या? 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों के परिजनों ने शुक्रवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), एक उप-निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों के परिवार शामिल हुए। उन्होंने उस दिन की घटना बताई और न्याय की मांग की। घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि 20 जुलाई की रात जब उनके पति घायल हालत में घर लौटे, तो वह पल उनके और उनकी दो साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक था। उन्होंने कहा कि वह दूसरे पुलिसकर्मियों के परिवारों के साथ अपना दर्द लोगों के सामने रखना चाहती हैं।

उप-निरीक्षक की बेटी ने क्या आरोप लगाया?

दिल्ली पुलिस के घायल एक घायल उप-निरीक्षक की बेटी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उनके पिता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता भारतीय नौसेना के पूर्व मरीन कमांडो रहे हैं। जंतर-मंतर के मंच के पास भीड़ ने उन्हें खींच लिया और पीट-पीटकर मार डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बाद में उनके पिता को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां वह करीब चार घंटे तक बेहोश रहे।

दूसरे परिवार ने क्या आरोप लगाया?

एक अन्य घायल पुलिसकर्मी के परिजन ने कहा कि यह छात्रों का प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्वों ने छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम करने और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जबकि असली छात्रों को उनके रिकॉर्ड की जांच के बाद छोड़ देना चाहिए।

राहुल गांधी ने पहले क्या मांग की थी?

यह घटनाक्रम राहुल गांधी की उस मांग के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विशेषाधिकार नोटिस पर बढ़ा विवाद

इस बीच, छात्र प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक टकराव और बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने 29 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया। वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि जितेंद्र सिंह ने सदन में यह कहकर गुमराह किया कि प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली। वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने पैलेट गन और एके-47 के इस्तेमाल के सबूत दिखाए हैं। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने सदन को गुमराह किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर कहा कि उनकी पार्टी के सांसद सक्षम है और लोकसभा में इसका जवाब देंगे।

रूस-यूक्रेन जंग: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- मारे गए और लापता भारतीयों के परिवारों की मदद करे केंद्र

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए और बाद में युद्ध के मोर्चे पर पहुंचा दिए गए भारतीय नागरिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विदेश मंत्रालय तुरंत एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो युद्ध में मारे गए, घायल हुए या अब भी लापता भारतीयों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर जरूरी जानकारी व सहायता उपलब्ध कराए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार पहले ही भारी मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें समय पर सही जानकारी और हर संभव मदद मिले। विदेश मंत्रालय में एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो पीड़ित परिवारों से सीधे संपर्क में रहेगा। युद्ध में मारे गए भारतीयों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल का मिलान कराया जाएगा। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजा क्लेम दाखिल कराने में विदेश मंत्रालय परिवारों की मदद करेगा। पीड़ित परिवारों को सभी जरूरी जानकारी और प्रक्रियाएं उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता देंगे। यह मामला उन भारतीय युवाओं से जुड़ा है, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों ने रूस में अच्छी नौकरी का लालच देकर भेजा था। परिवारों का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद कई युवाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ रूस-यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इस दौरान कई भारतीयों की मौत हो गई, कुछ घायल हुए और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इन्हीं परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार से अपील की थी कि उनके परिजनों का पता लगाया जाए, मृतकों के पार्थिव शरीर भारत लाए जाएं और रूसी सरकार से उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित परिवारों की हर कानूनी प्रक्रिया में मदद करें।

दिल्ली के जगतपुरी में महिला की गर्दन में कैंची घोंपकर निर्मम हत्या, वारदात के बाद से पति फरार

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थानाक्षेत्र की गगन विहार सोसायटी में घर के अंदर गले मे कैंची घोंपकर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला की हत्या के बाद से पति बैग लेकर स्कूटी से फरार हो गया। फरार होते वक्त घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो गया।

रुचिका के बचाव में सीजेपी 'अपशब्दों का इस्तेमाल देश में कब से अपराध, लोग रोजाना ऐसी भाषा का करते हैं इस्तेमाल'

दिल्ली । जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर नोएडा की एक लड़की के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का विरोध जताया है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है। लेकिन, पुलिस के जरिए उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है।'सौरभ दास ने कहा, 'इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से अपराध हो गया? लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा के 50% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप बस उन्हें अलग-थलग करके एक मिसाल बनाना चाहते हैं।'सौरव ने आगे कहा, 'यह पूरी तरह से निंदनीय है। मैं एक बार फिर सरकार और उसकी पुलिस व्यवस्था से अपील करता हूं कि वे युवाओं को परेशान करना बंद करें। इस तरह से युवाओं को निशाना बनाना बंद करें और इस लड़की को छोड़ दें। ऐसे मामलों में पुलिस बल का इस तरह का दुरुपयोग बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।' दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में आरोपी युवती रुचिका के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। चूंकि घटनास्थल दिल्ली में है, इसलिए

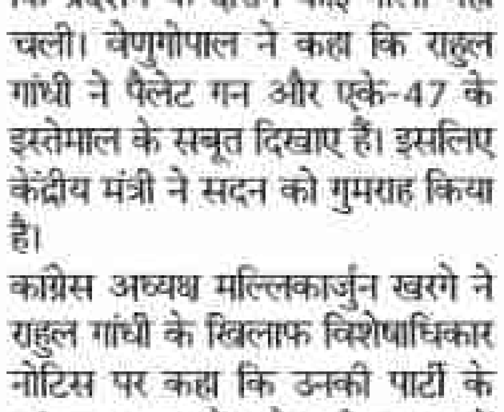

नोएडा पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामले को आगे की तफ्तीश के लिए संबंधित दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित कर दिया है।

अधिवक्ता ने दर्ज कराई प्राथमिकी

यह कार्रवाई गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र की रहने वाली अधिवक्ता स्मृति सिंह की शिकायत पर की गई है। शिकायत के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर-168 स्थित एक हाईराइज सोसायटी में रहने वाली रुचिका सिंह ने जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के लिए बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

शिकायतकर्ता अधिवक्ता का कहना है कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। साथ ही, इससे समाज में वैमनस्य फैलने और लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका उत्पन्न हुई। बताया गया है कि प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी की जानकारी जुटाई और नोएडा पुलिस से संपर्क कर मामला दर्ज कराया।

जांच के लिए दिल्ली भेजी गई एफआईआर

आरोपी युवती मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली है और एक ब्यूटी पार्लर संचालिका है। उसने नोएडा की सोसायटी में एक फ्लैट खरीदा है। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस जब मामले की जांच के लिए उसके फ्लैट पर पहुंची, तो वहां ताला लटका मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस का बयान

मामले की पुष्टि करते हुए एडीसीपी नोएडा, मनीषा सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चूंकि कथित अपराध स्थल दिल्ली का जंतर-मंतर है, इसलिए मामले से जुड़े सभी अभिलेख और एफआईआर आगे की विवेचना और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिए गए हैं। अब इस मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस करेगी।

सम्पादकीय...

तर्कपूर्ण जवाब

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ऐसी बहस छिड़ी, मानो लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से एक का भविष्य न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो। एक ओर संविधान की आत्मा और निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर सवाल उठाते न्यायाधीश थे तो दूसरी ओर संसद की सर्वोच्चता और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पक्ष मजबूती से रखती केंद्र सरकार। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला कई बार अदालत की बहस से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं पर गहन विमर्श में बदल गया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही सवाल उठाया कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का पद लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उनके चयन की प्रक्रिया ऐसी क्यों न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह न रहे? अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होकर काम करे, इतना पर्याप्त नहीं है; उसे स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए। इसी संदर्भ में अदालत ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि संसद ने 2023 का कानून बनाते समय चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने का निर्णय आखिर किस आधार पर लिया? पीठ ने याद दिलाया कि सीबीआई निदेशक और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका स्वीकार की गई है, फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के मामले में यह व्यवस्था क्यों बदली गई? केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा और पवित्रता है तथा जनता को उनके निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए। तुषार मेहता ने सवालिया अंदाज में कहा, 'यदि प्रधानमंत्री के फैसलों पर भरोसा ही नहीं किया जाएगा, तो क्या फिर मंत्रिमंडल के गठन के समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेना अनिवार्य कर दिया जाए?' उन्होंने यह भी दलील दी कि केवल इसलिए कि कार्यपालिका के पास संख्याबल मौजूद है, यह मान लेना उचित नहीं कि वह संविधान विरोधी या दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीनों अंग यानि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और एक संस्था दूसरी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अदालत ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री पर अविश्वास जताना नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। न्यायमूर्तियों ने कहा, 'हम यह नहीं कह रहे कि वर्तमान समिति ने निष्पक्षता नहीं बरती है। लेकिन जैसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, उसी प्रकार चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में भी निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए।' इसी दौरान अदालत ने सरकार से एक और तीखा सवाल पूछा। पीठ ने याद दिलाया कि पहले भी अदालत ने निर्वाचित सरकार पर भरोसा जताते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाने की अपेक्षा की थी। ऐसे में आज सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं? इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी तय होती है। हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2023 के उस कानून को लेकर है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। बाद में संसद ने कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अदालत से कहा कि संसद की विधायी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। उनका कहना था कि केवल इसलिए कि कोई दूसरा मॉडल बेहतर हो सकता है, संसद द्वारा चुनी गई व्यवस्था को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'संसद को इस प्रकार बाधित नहीं किया जा सकता।' सरकार ने अपने हलफनामे में भी यही रुख दोहराया। केंद्र ने कहा कि यह आशंका पूरी तरह काल्पनिक है कि चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता स्वतः प्रभावित हो जाएगी। सरकार ने याद दिलाया कि सात दशक से अधिक समय तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह कार्यपालिका द्वारा होती रही, लेकिन इस दौरान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी बाधित नहीं हुए। इसलिए केवल आशंकाओं के आधार पर कानून को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह आग्रह भी किया कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं, इसलिए इसे बड़ी संविधान पीठ को भेजा जाए। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. शेषाद्रि नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और संजय पारिख ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि लगभग 20 दिन तक विस्तृत सुनवाई चलने के बाद अब इस आधार पर मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग करना केवल सुनवाई को टालने का प्रयास है। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की गई है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, संसद की विधायी शक्ति और जनता के भरोसे के बीच संतुलन की नई संवैधानिक रेखा भी खींच सकता है।

क्या सचमुच नारीवाद हार रहा है?

अमरीका की हन्ना नीलमैन और नारा स्मिथ जैसी सोशल मीडिया हस्तियां केवल लोकप्रिय नहीं हुईं, वे एक बहस बन गईं। उनके वीडियो में कोई क्रांति नहीं होती, बस एक शांत रसोई, बच्चों की खिलखिलाहट, घर की लय और बिना हड़बड़ी का जीवन। आश्चर्य यह है कि इन्हें सबसे अधिक वही पीढ़ी देख रही है जिसे हम 'जेन-जी' कहते हैं। आज, 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक विचित्र दृश्य सामने है। सोशल मीडिया पर लाखों युवतियां लिनन के ढीले कपड़ों में रोटी सेंकती दिखाई देती हैं, बगीचे से फूल तोड़ती हैं, बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं, पति के लौटने की प्रतीक्षा करती हैं और इस जीवन को गर्व से 'ट्रैड वाइफ' अर्थात (ट्रेडिशनल/पारंपरिक पत्नी) का नाम देती हैं। सोशल मीडिया में उभरा यह शब्द कुछ ही वर्षों में पश्चिमी दुनिया में करोड़ों बार देखा और सुना जाने लगा। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या यह नारीवाद की पराजय है? क्या आधुनिक स्त्री सचमुच फिर से अतीत की ओर लौटना चाहती है? या कहानी कुछ और है? पहली दृष्टि में यह प्रश्न दृश्य जितना सरल दिखाई देता है, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है। अक्तूबर, 2025 में किंग्स कॉलेज लंदन के ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर वुमन्स लीडरशिप द्वारा 18 से 34 वर्ष की महिलाओं पर किए गए अध्ययन ने एक रोचक तथ्य सामने रखा। लगभग 59 प्रतिशत युवतियों ने माना कि 'ट्रैड वाइफ' की सोच समाज पर नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, जबकि केवल लगभग 5 में से 1 महिला ने इसे सकारात्मक माना। यदि ऐसा है, तो फिर यह प्रवृत्ति इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है? शोधकर्ताओं का उत्तर विचारणीय था। उनके अनुसार महिलाओं को पारंपरिक पुरुष-प्रधान व्यवस्था की लालसा नहीं है लेकिन वे उस जीवन से थक चुकी हैं, जिसमें उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर यानि करियर की दुनिया में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, आर्थिक रूप से पूर्णतः आत्मनिर्भर भी रहें और घर की अधिकांश जिम्मेदारियां भी निभाएं। यह आंदोलन परंपरा का उत्सव कम और मानसिक थकान का मौन प्रतिरोध अधिक प्रतीत होता है। यहीं से चर्चा का केंद्र बदल जाता है। दरअसल दशकों तक स्त्रियों से कहा गया कि स्वतंत्रता का रास्ता केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा से होकर जाता है। बताया गया कि पहचान परिवार से नहीं, पद से बनेगी,

शायद 'ट्रैड वाइफ' आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज की स्त्री केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, भावनात्मक स्थिरता भी चाहती है। वह केवल करियर नहीं, परिवार भी चाहती है। इसलिए वास्तविक संघर्ष नारीवाद और परंपरा के बीच नहीं है। वास्तविक संघर्ष उस जीवन-दर्शन के विरुद्ध है, जिसने स्त्री की सफलता को उसकी पेशेवर सफलता से मापना शुरू कर दिया है। शायद प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री घर लौटना चाहती है या दफ्तर जाना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या हमने ऐसा समाज बनाया है, जहां उसे दोनों में से किसी एक को चुनने की विवशता न हो? क्योंकि स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप विकल्पों की बहुलता है, न कि किसी एक जीवन-पद्धति को आधुनिकता और दूसरी को पिछड़ेपन का प्रमाणपत्र दे देना।

सम्मान रिश्तों में नहीं, वेतन में मिलेगा और सफलता का शिखर घर नहीं, पेशेवर दुनिया में ऊंची कुर्सी है।

लेकिन आज वही पीढ़ी पूछ रही है, यदि यही सफलता है, तो सुकून कहां है? यदि किसी विचारधारा ने स्त्री से कहा था कि वह हर बंधन से मुक्त होगी, तो फिर आज वह पहले से अधिक तनावग्रस्त क्यों दिखाई देती है? यदि स्वतंत्रता का अर्थ केवल काम के घंटे बढ़ जाना, परिवार और बच्चों को समय न देने का अपराधबोध बढ़ जाना और अकेलापन बढ़ जाना रह गया है, तो क्या उस स्वतंत्रता की परिभाषा पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? समस्या यह नहीं कि स्त्री ने काम करना शुरू किया, समस्या यह है कि उसे यह विश्वास दिलाया गया कि घर और परिवार को महत्व देना उसकी महत्वकांक्षा की हार है। यहीं आधुनिक नारीवाद अपनी सबसे बड़ी वैचारिक भूल करता दिखाई देता है। उसने विकल्प देने का दावा किया लेकिन धीरे-धीरे उसने एक नया आदर्श गढ़ दिया- ऐसी स्त्री, जो लगातार उत्पादक हो, लगातार सफल हो, लगातार स्वयं को सिद्ध करती रहे।

नतीजन आज पश्चिम की अनेक युवतियां यह नहीं कह रहीं कि उन्हें अधिकार नहीं चाहिए। वे यह कह रही हैं कि उन्हें ऐसा जीवन चाहिए, जिसमें अधिकारों के साथ अपनापन भी हो, आय के साथ आत्मीयता भी हो और उपलब्धियों के साथ घर-परिवार का सुकून भी हो। यह विद्रोह रसोई के पक्ष में नहीं है, यह उस जीवन के विरुद्ध है जिसने सफलता को थकान का दूसरा नाम बना दिया। आज का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि परिवार और स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी हैं। भारतीय दृष्टि कभी ऐसा नहीं मानती थी। यहां परिवार बंधन नहीं, सहारा था, दायित्व बोझ नहीं, संबंधों का विस्तार था। आधुनिकता ने व्यक्ति को स्वतंत्र तो बनाया लेकिन कई बार उसे अकेला भी छोड़ दिया। यही कारण है कि आज 'ट्रैड वाइफ' का आकर्षण केवल एप्रन या रसोई नहीं, उसका आकर्षण वह भाव है कि कोई घर है जहां लौटना सार्थक लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्त्री गृहिणी बनना चाहती है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी स्त्री का करियर उन्मुख होना गलत है। लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य है कि उस विचारधारा पर प्रश्न उठ रहे हैं, जिसने जीवन के एक ही मॉडल को प्रगति का प्रमाणपत्र बना दिया था। यदि प्रगति स्त्री से उसका घर, उसका समय, उसके रिश्ते और उसकी मुस्कान छीन ले, तो क्या उसे अब भी प्रगति कहा जाना चाहिए? शायद इसलिए यह विमर्श किसी एप्रन, किसी रसोई या किसी वायरल वीडियो का नहीं है, यह विमर्श उस सभ्यता का है, जिसने स्त्री को आकाश तो दिया, पर कई बार उसके पैरों तले की धरती खींच ली। शायद 'ट्रैड वाइफ' आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज की स्त्री केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, भावनात्मक स्थिरता भी चाहती है। वह केवल करियर नहीं, परिवार भी चाहती है। इसलिए वास्तविक संघर्ष नारीवाद और परंपरा के बीच नहीं है। वास्तविक संघर्ष उस जीवन-दर्शन के विरुद्ध है, जिसने स्त्री की सफलता को उसकी पेशेवर सफलता से मापना शुरू कर दिया है। शायद प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री घर लौटना चाहती है या दफ्तर जाना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या हमने ऐसा समाज बनाया है, जहां उसे दोनों में से किसी एक को चुनने की विवशता न हो? क्योंकि स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप विकल्पों की बहुलता है, न कि किसी एक जीवन-पद्धति को आधुनिकता और दूसरी को पिछड़ेपन का प्रमाणपत्र दे देना। और संभवतः आने वाला समय इसी सत्य को पुनः खोजने वाला है।

कुछ सैलिब्रिटीज की प्रतिष्ठा के पीछे का काला सच!

आए दिन हमें यह देखने को मिलता है कि उद्योग जगत, मनोरंजन जगत, आध्यात्मिक संस्थाओं और खेल जगत की कुछ नामी-गिरामी हस्तियों के नाम बार-बार 'मनी लॉन्ड्रिंग', फर्जी सौदों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के मामलों में चर्चा में आते हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी मेहनत, प्रतिभा और लोकप्रियता से करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीता है। फिर भी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपनी अच्छी छवि को दांव पर लगाकर काले धन के सौदों में उलझ जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है लोभ। सफलता के बाद भी और अधिक धन और अधिक पावर की भूख कभी नहीं मिटती। कई बार वे सोचते हैं कि उनकी छवि इतनी मजबूत है कि कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। कुछ लोग अपने व्यवसाय को 'विविधीकरण' का नाम देकर रियल एस्टेट, शैल कंपनियों, दान के नाम पर काले धन को सफेद करना या विदेशी खातों के जरिए धन छिपाने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि ये लोग अपने सरकारी संपर्कों और प्रभावशाली लोगों से परिचित होने के कारण अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी या मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो। फिर भी व्यवहार में कई बार प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच धीमी पड़ जाती है या सबूतों की कमी का हवाला देकर मामले कमजोर हो जाते हैं। भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.), आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां जब ऐसे मामलों की जांच करती हैं, तो अक्सर आरोपियों को सजा नहीं दिला पातीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, सबूतों की कमी, गवाहों का दबाव में आना या लंबी अदालती सुनवाई। कभी-कभी राजनीतिक प्रभाव या संसाधनों की कमी भी जांच को प्रभावित करती है। लेकिन ऐसे 'जाहिर कारणों' से बरी होना या मामला रुक जाना समाज में गलत संदेश देता है। इस स्थिति में अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई करे, सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और दोषियों को उचित सजा दे। विशेष अदालतें या फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाएं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों के लिए बनाई जा सकती हैं। अदालतें एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दे सकती हैं कि जांच में देरी न की जाए और कोई भी प्रभाव जांच को बाधित न करे। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय तभी प्रभावी होगा, जब वह बिना भेदभाव के लागू हो। एजेंसियों को चाहिए कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। शिकायत दर्ज होने के बाद प्रारंभिक जांच तुरंत शुरू होनी चाहिए और सबूतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि शिकायत में गंभीर आरोप हों और उसके ठोस प्रमाण भी संलग्न हों तो जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी हो कि शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाए। सामान्य दस्तावेजी सबूतों में बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी दस्तावेज, कंपनी रजिस्ट्रेशन पेपर्स, इनकम टैक्स रिटर्न और संदिग्ध लेन-देन के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं। डिजिटल सबूत आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण हैं। ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप की चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल वॉलेट के लेन-देन, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन, क्लाउड स्टोरेज में सेव की गई फाइलें और सर्वर लॉग।

ये जेन ज़ी-जेन ज़ी क्या है?

ये जेन जी, जेन जी क्या है? माने नौजवान हैं, अच्छी

कितने भोंदू हैं ये जेन जी वाले। भगवाधारियों को इन जेन जी वालों को देशभक्ति सिखानी ही पड़ेगी। प्यार से सीखें तो प्यार से, नहीं तो मार से। वर्ना ये तो देश को बर्बाद ही कर देंगे। देश का भविष्य, देश का भविष्य सुन सुनकर ये कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गए हैं। मोदी जी ने एक महीने जंतर-मंतर पर क्या बैठने दिया, इन्होंने तो सारी दुनिया में भारत का नाम ही खराब कर दिया। पुलिस की लाठी, पुलिस की आंसू गैस, पुलिस की गोली, सब सारी दुनिया को दिखा दिया और अमृत काल को, दुनिया वालों की नजरों में तानाशाही काल बना दिया। इनमें जरा भी देशभक्ति होती, तो क्या ये एक जरा से पेपर लीक को लेकर इतना भारी हंगामा खड़ा करते और वह भी यह जानते-समझते हुए कि इंटरनेट के इस जमाने में, गोदी मीडिया भी बहुत काम का नहीं रह गया है--बाकी दुनिया से कुछ भी छुपा नहीं रह पाता है। उल्टे कॉकरोच बनकर ये तो लंदन, न्यूयार्क वगैरह में भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल आए, भारत को बदनाम करने के लिए--ऐसे एंटीनेशनल हैं ये जेन जी। और इनके हमदर्द--वो तो सब के सब सुर्खे हैं। उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ रहे हैं; प्रधान का इस्तीफा मिल गया, अब शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं।

बात है। माने पढ़े-लिखे हैं, और अच्छी बात है। अपना दिमाग रखते हैं, यह भी बुरा नहीं है। किसी के कहने भर से कुछ नहीं मानते, किसी के कहने से कुछ नहीं करते, जो सही जंचे वही करते हैं, यह सब तो अच्छा है। लेकिन, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि अपनी संस्कृति-संस्कार, सब को भूलकर किसी की भी खिल्ली उड़ाने लग जाएंगे। अब बताइए, इन्हीं के इस्तीफा दो, इस्तीफा दो की रट पकड़ने पर, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। इन्हीं की और इन्हीं के भाई-बांधवों की सेवा करने के लिए जो पद संभाला था, उस पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया कि इन्हीं के जरिए भारत-विरोधी षड्यंत्र आगे न बढ़ने पाएं और राष्ट्र विरोधी ताकतों के मंसूबे कहीं सफल न हो जाएं। इनके एंटी-नेशनल आकाओं से लड़ने के लिए, भारत माता के चरणों में अपनी गद्दी का सिर काट कर चढ़ा दिया। पर राष्ट्र के लिए उनकी कुर्बानी का खुद सम्मान नहीं करना था तो नहीं करते, पर ये तो भगवा पार्टी के सांसदों ने संसद के दरवाजे पर प्रधान का सम्मान करने का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और दलीलें तो ऐसी-ऐसी फालतू कि कुछ पूछो ही मत। कह रहे हैं कि टोपी पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर यह किस का सम्मान हो रहा है? 2024 के पेपर लीक के बाद, 2026 में पेपर लीक के रिपीट होने का सम्मान? सीबीएसई परीक्षा कॉपियों की जांच की धांधली का सम्मान? परीक्षा दर परीक्षा गड़बड़ी के अनोखे रिकार्ड का सम्मान? नीट की चोरी की वजह से 22 बच्चों के जान गंवाने का जश्न? किस बात का सम्मान? अगले ने अपनी गद्दी का सिर काटकर मां भारती के चरणों में चढ़ा दिया और ये हैं कि अगले की टोपी पहनाने पर हुज्जत कर रहे हैं--ऐसे नाशुक्रे हैं ये जेन जी! और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने पर ही रुक जाते, तब तो फिर भी इनकी एंटीनेशनलता को बच्चा समझ कर माफ किया जा सकता था। ये तो प्रधान जी के प्रातः आराध्य, देवतुल्य मोदी जी की भी खिल्ली उड़ाते हैं। मोदी जी ने रातों में बारह-बारह बजे तक जागकर रीलें बनायीं और वह भी सेल्फी मोड में अकेले-अकेले। पता नहीं टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ में था या नहीं। और इन्होंने न उम्र का ख्याल किया, ना उनकी फ्रेंडशिप कबूल की, उल्टे कैमरा एंगल, कैमरे से दूरी के खोट और निकालने लगे। उधर खुद, भीड़ में तो भीड़ में, अकेले-अकेले अपने सोशल मीडिया खातों में भी, अगले के ऐसे-ऐसे मीम बना रहे थे, ऐसे-ऐसे नारे उछाल रहे थे, ऐसे-ऐसे कैरीकेचर बना रहे थे और ऐसे-ऐसे गाने बना रहे थे कि पूछो मत। और हद तो यह हो गयी कि अगले अंग्रेजी में भिगो-भिगो के, शुद्ध देसी गालियां भी दे रहे थे और वह भी शाकाहारी गालियां ही नहीं, तरह-तरह की हिंदू सेनाओं के सेनापतियों की भारी-भारी गालियों की टक्कर की गालियां! हिंदू भक्ति में मुकाबला करने में इनकी नानी मरती है, पर हिंदू सैनिकों से गालियों में इनसे मुकाबला करा लो, ऐसे हैं ये जेन जी! और ये जो जेन जी की कुर्बानियों के गीत गाए जा रहे हैं, ये सब राई का पहाड़ बनाने वाली बातें हैं। जून-जुलाई की तपती गर्मी में राजधानी में जंतर-मंतर पर आकर बैठ ही गए तो क्या हो गया? ये रहते तो ज्यादा टैम इंटरनेट पर और अपने फोन में ही हैं। इन्हें कहां गर्मी, बारिश, तपिश, उमस कुछ भी महसूस होता है? इन्हें कहां टैम का पता चलता है--बैठ गए तो बैठे रह गए एक महीने।

रही बात भूख हड़ताल वगैरह की तो इन्हें खाने का होश ही कहां रहता है? माएं ही पीछे पड़ी रहती हैं कि बेटा खा ले, कुछ तो खा ले; तब बड़ा एहसान पटकते हुए दो-चार ग्रास खा लें तो खा लें, वर्ना ये तो यूं भी हवा खाकर ही जिंदा रहते हैं। बीस-बाईस दिन की भूख हड़ताल तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। और रही पुलिस की मार के सामने भी डटे रहने की बात, किसी से नहीं डरने की बात, तो ये इस दुनिया को जानते ही कितना हैं, जो डरेंगे? पहले किसी जुलूस-वुलूस में गए नहीं, पुलिस की लाठी खाई नहीं, गोली चलती देखी नहीं, जेल की सूरत देखी नहीं। और तो और जमकर पिटाई तक नहीं खाई, न मां-बाप से, न स्कूल में और न मोहल्ले-पड़ोस में। 20 जुलाई को जो हुआ, इन्हें शुरू में तो वीडियो गेम लगा होगा। बाद में फंस गए, तो करते भी तो क्या करते? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खुद तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी बन गए और बेचारे पुलिस वालों को जल्लाद के नाम से बदनाम कर दिया। अब जंतर-मंतर पर पैलेट गन चलने का शोर मचा रहे हैं, जबकि इन्हें पुलिस को थैंक यू कहना चाहिए, एके 47 नहीं चलाने के लिए। क्या सोचते हैं, एके 47 क्या सिर्फ बिहार के पुलिस वाले ही चलाना जानते हैं? शाह साहब के डाइरेक्ट कंट्रोल में, दिल्ली पुलिस को अपने बिहारी बिरादरों से कमजोर दिल का समझा है क्या? रही पैलेट गन की बात तो, इन जेन जी वालों ने क्या समझा था कि पैलेट गन इस्राइल से चलकर कश्मीर तक आ सकती है, तो देश में आगे नहीं जाएगी और सिर्फ कश्मीर में ही रहेगी!

कितने भोंदू हैं ये जेन जी वाले। भगवाधारियों को इन जेन जी वालों को देशभक्ति सिखानी ही पड़ेगी। प्यार से सीखें तो प्यार से, नहीं तो मार से। वर्ना ये तो देश को बर्बाद ही कर देंगे। देश का भविष्य, देश का भविष्य सुन सुनकर ये कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गए हैं। मोदी जी ने एक महीने जंतर-मंतर पर क्या बैठने दिया, इन्होंने तो सारी दुनिया में भारत का नाम ही खराब कर दिया। पुलिस की लाठी, पुलिस की आंसू गैस, पुलिस की गोली, सब सारी दुनिया को दिखा दिया और अमृत काल को, दुनिया वालों की नजरों में तानाशाही काल बना दिया। इनमें जरा भी देशभक्ति होती, तो क्या ये एक जरा से पेपर लीक को लेकर इतना भारी हंगामा खड़ा करते और वह भी यह जानते-समझते हुए कि इंटरनेट के इस जमाने में, गोदी मीडिया भी बहुत काम का नहीं रह गया है--बाकी दुनिया से कुछ भी छुपा नहीं रह पाता है। उल्टे कॉकरोच बनकर ये तो लंदन, न्यूयार्क वगैरह में भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल आए, भारत को बदनाम करने के लिए--ऐसे एंटीनेशनल हैं ये जेन जी। और इनके हमदर्द--वो तो सब के सब सुर्खे हैं। उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ रहे हैं; प्रधान का इस्तीफा मिल गया, अब शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनका क्या है, कल मोदी जी का भी इस्तीफा मांगने लग जाएंगे। ऐसे-ऐसों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, ये जेन जी वाले।

जंतर-मंतर छात्र आंदोलन : हंगामा है क्यों बरपा

जंतर-मंतर छात्र आंदोलन आजकल बहस के केंद्र में है। ना झुकने का दावा करने वाली मोदी सरकार को इस आंदोलन ने झुकाया, आयोजकों ने नारा दिया कि 'झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए'। इस आंदोलन में जंतर-मंतर पर रहते हुए हमने खुद देखा कि सामाजिक मैत्रीभाव का जो प्रदर्शन हुआ वह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की पुष्टि करता है। जैसा सेवा भाव बच्चों ने दिखाया वह आश्चर्यजनक था, इसलिए भी कि इस जेन जी की पीढ़ी पर मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि की दुनिया में मगन रहने और पारिवारिक जीवन में शारीरिक श्रम कम करने की बात कही जाती है। जो दृढ़ता, अहिंसा, त्याग, दया और करुणा इस आंदोलन में दिखी उसने आजादी के आंदोलन के दौर की यादें ताजा कर दीं। देश के कोने-कोने से लोगों ने दान दिया और जमैटो, स्वीगी जैसी कम्पनियों से खाने की बड़ी मात्रा में सप्लाई की। इस आंदोलन में जेन जी द्वारा मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गालियों के जरिए इस पीढ़ी पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। पूरे देश में सरकार की ट्रोल आर्मी हंगामे पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम सांसद उन पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। कुछ उन्हें देशद्रोही और कुछ समाज पर बोझ बता रहे हैं। संवेदनहीनता की हालत यह है कि अपने ही इन बच्चों को गोली मारने की बात भी कही जा रही है। दरअसल छात्रों-नौजवानों के व्यंग्य के माध्यम से शुरू हुए इस आंदोलन में जो गालियां दी भी गई हैं, वह उनके संचित गुस्से का प्रतिवाद था। जो स्वाभाविक तौर पर पिछले 12 सालों से देश का बैंड बजा रही इस सरकार की कारस्तानियों से पैदा हुआ है। अभी भी सरकार और खुद मोदी जी व आरएसएस इससे सीखने को तैयार नहीं हैं। छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने, उनका उत्पीड़न न करने और 20 जुलाई को हुए बर्बर दमन के दोषी अधिकारियों को दंडित करने के वादे को पूरा नहीं किया गया। हद यह है कि प्रतिबंधित पैलेट गन का इस्तेमाल करने, पुलिस मैनुअल के विरुद्ध सादी वर्दी में बच्चों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने, कील लगी लाठियों से मारने और करंट लगाने के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री इस्तीफा देना तो दूर माफी तक मांगने को तैयार नहीं हैं। उल्टा पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने छात्रों पर एनएसए लगा दिया। बिहार में तो हद हो गई है बाकायदा अखबारों में जेल में बंद हजारों छात्रों की फोटो प्रकाशित कराई गई। सिवान में एके 47 से फायरिंग की गई और हजारों छात्र अभी भी जेल में बंद हैं। जबकि आंदोलन के दबाव में बिहार सरकार ने मुकदमा वापसी और रिहा करने का आदेश दे दिया है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र और असम में भी दमन जारी है। दिल्ली में सीपीआई-एम नेशनल आफिस में घुसकर एसएफआई राष्ट्रीय सहसचिव आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हद है कि जिस नकारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों ने कराया उन्हें संसद में सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐसे सम्मानित किया मानो वो कोई राष्ट्र सम्मान का काम करके सदन में आए हों। यही नहीं जिस आरएसएस के अनमोल सितारे प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है वह बलात्कारियों और लड़कियों के अपमान करने वालों का संरक्षणदाता है।

कानून से नहीं रुकेगा पेपर लीक

सरकार संसद में जो सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है, उसमें भी सजा की वृद्धि के अलावा नया कुछ भी नहीं है। जबकि दिन के उजाले की तरह साफ है कि महज कड़ा कानून बना देने से पेपर लीक रुकने वाला नहीं है। पेपर लीक के कारणों को और सरकार की नीयत को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सरकार ने नीट समेत तमाम परीक्षाओं को कराने के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जैसी सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत गैर संवैधानिक संस्था का निर्माण किया। यदि इसकी कार्यप्रणाली को देखें तो 2024 के नीट पेपर लीक के समय एनटीए के डीजी रहे सुबोध कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुरस्कार देकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया हुआ है। हद यह है कि एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जिनके समय 2024 और 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ था उन्हें आज तक उनके पद से हटाया नहीं गया। यह वही महोदय हैं जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहते चर्चित व्यापमं घोटाला हुआ था। आज तक पेपर लीक करने वालों को सजा नहीं हुई उल्टे वह जमानत पर रिहा हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रायल कोर्ट की बात भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए एनटीए जैसी गैर जवाबदेह, गैर संवैधानिक संस्था को खत्म करने की बच्चों की मांग जायज है लेकिन सरकार इस पर विचार करने को तैयार नहीं है।

सरकार के प्रति गुस्से की वजह

यह भी देखना होगा कि मोदी सरकार के विरुद्ध यह जो गुस्सा पैदा हुआ है इसका कारण लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को लगातार खत्म किया जाना भी है। असहमति की हर आवाज को सरकार ने दमन कर कर दबा दिया। आनंद तेलतुम्बड़े, गौतम नवलखा, उमर खालिद, प्रबीर पुरकायस्थ, सुधा भारद्वाज, सत्यम वर्मा जैसी देश की सर्वोच्च मेधा को जेल की सलाखों में डाला गया। धरना, प्रदर्शन, उपवास, आंदोलन, यात्राएं मुश्किल ही नहीं देश में लगभग असंभव हो गई हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने वाले जो लोग सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे उन्हें आंदोलनजीवी, देशद्रोही यहां तक कि कॉकरोच की संज्ञा से नवाजा गया। जो संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करती हैं और लोगों के आक्रोश को संस्थाबद्ध करके उनका लोकतांत्रिक समाधान करती हैं, उन सारी संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया।

सबसे बड़ी बात मोदी सरकार ने पूरे देश को देशी-विदेशी बड़े पूंजी घरानों के हवाले करने का काम किया है। देश की प्राकृतिक सम्पदा और सार्वजनिक सम्पत्ति पूंजी घरानों के नाम कर दी गई है। जिस तरह से सरकार ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया और देश की आर्थिक संप्रभुता को आघात पहुंचाने का काम किया है उससे पूरा देशभक्त भारतीय मानस हिल गया है। आज हालात यह हो गई है कि अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूंजी का संकेंद्रण कुछ पूंजी घरानों के हाथ में होता जा रहा है और देश की बड़ी आबादी हाशिए पर धकेली जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास जैसे संवैधानिक अधिकार लोगों के हाथ से छीन लिए गए हैं। दो करोड़ रोजगार देने का वादा गृहमंत्री के शब्दों में जुमला बन गया है। सरकारी सेवाओं में आमतौर पर पद खत्म कर दिए गए हैं और जो भर्तियां निकल भी रही हैं वह पेपर लीक और भ्रष्टाचार के हवाले हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाखों प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए और सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता लगातार कम की गई। आरएसएस द्वारा सौंपे दखल के कारण उच्च शैक्षिक संस्थानों में अध्यापक से लेकर कुलपति तक की नियुक्ति संघ पृष्ठभूमि के लोगों की की गई। पाठ्यक्रम से लेकर सभी चीज सांप्रदायिक नजरिया से बदली जा रही है। जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान मेरे पत्रकार मित्र ने बताया कि दिल्ली के तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में अबकी बार एडमिशन नहीं हो रहे। क्योंकि लाखों रुपया देकर प्रोफेशनल कोर्स करने के बावजूद बच्चों को उनके अनुरूप नौकरियां नहीं मिल रही हैं। शिक्षा का बजट प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। जहां यह 2016-17 में 3.6 प्रतिशत था वहीं 2025-26 में 2.6 प्रतिशत है। दुनिया एआई की तरफ जा रही है और इस युग को तकनीक का युग कहा जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सत्य पैलेस एक्स. दिल्ली-31, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2014/[illegible])

बाइक में दुपट्टा फंसने से महिला घायल

कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दुपट्टा काट कर बचाई गई उसकी जान

बड़हलगंज। बाइक पर पीछे बैठ कर जा रही महिला संतुलन बिगड़ने से गिर गई। जिसकी वजह से उसका दुपट्टा मोटरसाइकिल की चेन में उलझ कर गाले कस गया। पीछे चल रहे एक बाइक सवार में कड़ी मशक्कत के बाद वाहन की चाभी से दुपट्टा काट कर महिला की जान बचाई। इस दौरान सड़क पर भीड़ जमा हो गई। गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे ग्राम मैभरा की रहने वाली पूजा परिचित की बाइक से कपरवार की तरफ से रामजानकी मार्ग के रास्ते अपने घर जा रही थी। ग्राम नेतवार पट्टी के समीप गिट्टी पर बाइक उछलने से वह नीचे गिर गई। जिसमें उसका दुपट्टा पहिये और चेन में उलझ कर गले मे कस गया। पीछे से आरहे नेशनल पीजी कालेज के कार्मिक सुधांशु पाण्डेय ने तत्परता दिखाते हुए अपने मोटरसाइकिल की चाभी से कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह दुप्पटे को काटा जिससे महिला की जान बच पाई। घटना के बाद मार्ग पर काफी भीड़ जुट गई। चोटिल महिला को निजी चिकित्सक से प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल भेजा गया।

देवरिया के युवा वैज्ञानिक डॉ. शाश्वत बिश्वनाथन को मिली प्रतिष्ठित एनपीडीएफ फ़ेलोशिप

भटनी देवरिया।

भटनी क्षेत्र के ग्राम चांदपार निवासी युवा वैज्ञानिक डॉ शाश्वत बिश्वनाथन, स्वर्गीय डॉ. संजय कुमार श्रीवास्तव के पुत्र, को भारत की प्रतिष्ठित एनपीडीएफ प्राप्त हुई है। यह फेलोशिप देश के चुनिंदा उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को प्रदान की जाती है।

उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे देवरिया जिले में खुशी का माहौल है। डॉ. शाश्वत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर से पीएचडी की उपाधि हासिल की। अपने लगभग पांच वर्षों के शोध कार्यकाल में उन्होंने 10 से अधिक उच्च-स्तरीय शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं, जिन्हें विश्वभर के शोधकर्ताओं द्वारा

उद्धृत किया जा रहा है।एनपीडीएफ फेलोशिप के अंतर्गत अब डॉ. शाश्वत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में 'समुद्र के पानी से सीधे स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन' विषय पर शोध करेंगे। यह शोध भविष्य की स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा तकनीक विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डॉ. शाश्वत ने अपनी

भटनी के चांदपार गांव के बेटे की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि, आईआईटी कानपुर में करेंगे स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन पर शोध

इस सफलता का श्रेय अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय डॉ संजय कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन, प्रेरणा और परिवार के सहयोग को दिया है। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके पिता के सपनों को साकार करने वाली है, बल्कि देवरिया के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह सफलता पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने डॉ शाश्वत बिश्वनाथन को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

दो सगी बहनों से छेड़छाड़ व मारपीट मामले में चार नामजद के खिलाफ एफ आई आर दर्ज

रामकोला, कुशीनगर। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिउलिया मनिया छपरा, टोला दिउलिया में दो सगी बहनों के साथ कथित छेड़छाड़, मारपीट, लज्जा भंग करने के प्रयास एवं जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी महेश पासवान की तहरीर पर थाना रामकोला में एफआईआर संख्या 0390/2026 दर्ज की गई है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 29 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 3 बजे उनकी बहन के साथ पड़ोसी सिद्धार्थ पासवान उर्फ राहुल ने अश्लील इशारे करते हुए छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए तथा लज्जा भंग करने का प्रयास किया। शोर सुनकर बचाने पहुंची दूसरी बहन के साथ भी कथित रूप से बिंदावती देवी, प्रदीप पासवान और अंशु पासवान ने मिलकर मारपीट की, जिससे दोनों बहनें घायल हो गईं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना डायल-112 और पुलिस चौकी को दी गई, जिसके बाद घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 76, 115(2), 352, 351(3) एवं 110 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डीएम के जनता दर्शन में पहुंची फरियाद, सात वर्ष पुराना भूमि विवाद मौके पर सुलझा

कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के जनता दर्शन में शुक्रवार को एक सेवानिवृत्त होमगार्ड की फरियाद पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सात वर्ष से लंबित भूमि विवाद का मौके पर ही निस्तारण करा दिया। करीब तीन घंटे चली सुनवाई के बाद सभी पक्षों की सहमति से विवाद समाप्त हो गया। ग्राम पकड़ी बुजुर्ग, तहसील पडरौना निवासी सेवानिवृत्त होमगार्ड छोटेलाल सिंह, पुत्र जताई सिंह, जनता दर्शन में पहुंचे और जिलाधिकारी को बताया कि वर्ष 2019 से वह जमीन के बंटवारे के मामले में न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। प्रकरण के अनुसार, मामला वर्ष 2019 से उप जिलाधिकारी (न्यायिक) पडरौना की अदालत में विचाराधीन था। 12 अगस्त 2025 को वाद का निस्तारण हो गया था, लेकिन कब्जा नहीं मिल सका। इसके बाद विपक्षी पक्ष ने अपर आयुक्त (न्यायिक), गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के समक्ष अपील दायर की, जिसे 26 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत पत्रावली पुनः अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी गई। फरियादी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (न्यायिक) पडरौना डॉ. संतराज सिंह बघेल को तत्काल मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए। निर्देश के अनुपालन में डॉ. बघेल ग्राम पकड़ी बुजुर्ग पहुंचे, जहां गाटा संख्या 298, 383, 525 एवं 374 से संबंधित विवाद में सभी पक्षों को सुनकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर विधिवत कार्रवाई की। करीब तीन घंटे चली सुनवाई के बाद छोटेलाल सिंह, रामप्रवेश, संस्कार, सरोज देवी सहित सभी संबंधित पक्षों के बीच वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा दिया गया। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल पिंकी मिश्रा, राजस्व निरीक्षक श्रीनिवास सिंह तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) डॉ. संतराज सिंह बघेल ने बताया कि प्रकरण के समाधान में लगभग तीन घंटे का समय लगा, लेकिन सबसे संतोषजनक बात यह रही कि सभी पक्ष निर्णय से संतुष्ट हैं। अब उन्हें न्यायालय या तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन का उद्देश्य आपसी सहमति एवं विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे पुराने विवादों का समयबद्ध समाधान करना है।

सिलवासा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में शोक

भटनी देवरिया।

थाना भटनी क्षेत्र के ग्राम भरेहेचौरा स्थित सोनबरसा टोला निवासी स्वर्गीय परमानंद मौर्य के बड़े पुत्र राजन मौर्य की सिलवासा (दमन) में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि राजन मौर्य तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। रोजी-रोटी की तलाश में वह सिलवासा में रहकर काम करते थे। उनकी अचानक हुई मौत से परिजन सदमे में हैं और रो-रोकर उनका बुरा हाल है। मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। परिजन घटना की पूरी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं।

(मृतक राजन मौर्या का फाइल फोटो)

भरेहेचौरा के सोनबरसा टोला निवासी राजन मौर्य की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

छात्रवृत्ति प्रोफाइल लॉक पर कड़े तेवरः डीएम की चेतावनी, लापरवाही पर छिनेगी स्कूलों की मान्यता

कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के प्रोफाइल लॉक की रफ्तार धीमी

देवरिया।

शासकीय छात्रवृत्ति योजनाओं से विद्यार्थियों को वंचित रखने वाले लापरवाह विद्यालयों के खिलाफ कलेक्ट्रेट प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में सोशल सेक्टर से जुड़े विभागों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रोफाइल लॉक न करने वाले शिक्षण संस्थानों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि लापरवाही के कारण कोई भी छात्र आवेदन से वंचित रहा, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ मान्यता निरस्तीकरण तक का कदम उठाया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि जिले में छात्रवृत्ति प्रोफाइल लॉक करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित होने के बावजूद अब तक केवल 20 प्रतिशत विद्यालयों ने ही यह प्रक्रिया पूरी की है। इस धीमी प्रगति पर तीव्र नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक और सोशल सेक्टर के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि तय समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत प्रोफाइल लॉक कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। जिलाधिकारी ने ताकीद की कि हीलाहवाली करने वाले संस्थानों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और डीआईओएस को निर्देश दिया कि वे दैनिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा करें और शिथिलता बरतने वाले प्रबंधकों व प्राचार्यों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें। बैठक में सोशल सेक्टर से जुड़े विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना विभाग के वरिष्ठ कर्मी अनिरुद्ध प्रसाद की विदाई, 20 वर्षों की सेवा के बाद हुए सेवानिवृत्त

देवरिया।

जिला सूचना कार्यालय में लगातार 20 वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट और निष्ठावान सेवाएं देने वाले वरिष्ठ कर्मचारी अनिरुद्ध प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को कार्यालय परिसर में विदाई व सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों, अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर तथा स्मृति चिह्न भेंट कर भावभीनी विदाई दी और उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व प्रधानाचार्य एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पौहारी शरण राय तथा कैप्टन वीरेंद्र सिंह ने अनिरुद्ध प्रसाद के सेवाकाल को याद करते हुए कहा कि वे एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित कर्मी रहे हैं। अपने दो दशकों के सेवाकाल में उन्होंने सूचना विभाग तथा मीडिया जगत के बीच समन्वय और आत्मीय संबंधों की जो मिसाल कायम की, वह अनुकरणीय है। उनके कार्य व्यवहार और सादगी की पहचान सदैव बनी रहेगी। विदाई की घड़ियों में भावुक हुए अनिरुद्ध प्रसाद ने सभी अधिकारियों, सहकर्मियों और वरिष्ठ पत्रकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूचना कार्यालय में मिला स्नेह और कार्यानुभव उनके जीवन की अनमोल पूंजी है। कार्यक्रम का कुशल संचालन ओंकार पांडेय ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी, चंद्रप्रकाश पांडेय, वीरेश्वर मिश्र के अलावा सूचना विभाग से सोनू कुमार, प्रिंस मिश्रा, पंकज धारिया, रामपति, अनिल मिश्रा, प्रदीप पटेल व बृजेंद्र मिश्रा समेत अनेक गणमान्य नागरिक और परिजन मौजूद रहे।

शुभेंदु अधिकारी पर हमले की थी साजिश?

बंगाल में जैश का संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार, बड़े आतंकी नेटवर्क की जांच- पड़ताल शुरू

राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गुरुवार देर रात बर्दवान कस्बे के एक आवासीय परिसर हामिद मंडल को गिरफ्तार किया।

बर्दवान। पश्चिम बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ता एक व्यापक आतंकी नेटवर्क से उसके संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गुरुवार देर रात बर्दवान कस्बे के एक आवासीय परिसर हामिद मंडल को गिरफ्तार किया। वह यहां एक किराए के मकान में रहता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंडल पिछले दो से तीन महीनों से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उस फ्लैट में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों से बरामद सामग्री से पता चलता है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। अब जांचकर्ताओं को यह पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि क्या वह किसी हमले की योजना बना रहा था। पुलिस ने बताया कि मंडल का संबंध पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से होने का संदेह है। इसके साथ ही माना जाता है कि वह सज्जाद भट का करीबी सहयोगी है, जिसे 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है। आरोपी को शुक्रवार को बर्दवान की एक अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को ले जा रही एक बस में विस्फोटक से भरी अपनी कार से टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान मारे गए थे।

धार में जुमे की नमाज

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने खसरा नंबर 612 पर उपलब्ध कराई जगह

धार। मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर के समीप शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने पहली बार जुमे की नमाज अदा की। यह नमाजक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक दिन पहले दी गई अनुमति के बाद आयोजित की गई। जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक में सर्वे नंबर 612 स्थित स्थान को नमाज के लिए चयनित किया गया। प्रशासन ने नमाज के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं और सुरक्षा इंतजाम किए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा मई में भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किए जाने और परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति देने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुराने आदेश को रद्द किए जाने के बाद यह पहली जुमे की नमाज थी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को भोजशाला परिसर से सटी दरगाह परिसर में प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1

बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। साथ ही राज्य सरकार को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन ने नमाज के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। स्थानीय रहवासियों के तीखे विरोध के चलते क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि, प्रशासनिक अमले और पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति पर काबू पा लिया गया।

बारिश के बीच प्रशासन ने की व्यवस्था

शुक्रवार को बारिश के कारण जमीन गीली हो गई थी, जिसके चलते प्रशासनिक अमले ने नमाजियों के लिए तिरपाल की व्यवस्था की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई थी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

विरोध को किया शांत

नमाज के आयोजन की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासी मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने नमाज का पुरजोर विरोध किया। कहना था कि जिस जमीन पर नमाज की अनुमति दी गई है, वह उनकी निजी भूमि है। वे इस जमीन पर लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं।

एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला

घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी राजकुमार हलदर अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभाला। एसडीएम ने विरोध कर रहे ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी आपत्तियों की पूरी और निष्पक्ष सुनवाई की जाएगी। प्रशासन के इस लिखित व मौखिक आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद की तीसरी बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया। उमर पर साल 2020 की फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ यूएपीए समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी के चलते उमर खालिद साल 2020 से जेल में है और वह सुप्रीम कोर्ट समेत हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कई बार बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं।

खालिद ने ताजा बेल याचिका के साथ ही अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई के लिए अदालत ने 27 अगस्त की तारीख तय की है। इसके साथ ही शरजील इमाम की भी बेल याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। शरजील इमाम भी साल 2020 से दंगा की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है। उनपर भी यूएपीए समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर लाइव आकर युवाओं और खासकर जेन-जी को संबोधित किया। वीडियो में पीएम ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों द्वारा की गई बयानबाजी के लिए उन्हें माफ कर दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती है और उन्हीं गलतियों से सीखने और सुधरने का अवसर भी मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टा वीडियो में कहा 'फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर-मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उसे देश और दुनिया ने देखा।

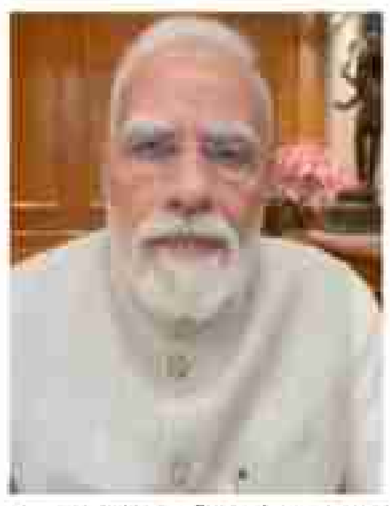

कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। प्रदर्शन के दौरान मुझे गालियां दी गईं,

पीएम मोदी बोले- मुझे और मेरी मां को गालियां दी गईं, गुमराह बच्चों को माफ करना चाहता हूं, गालियों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती'

मेरी स्वर्गीय माता को भी अपशब्द कहे गए हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं समाज के अंदर मौजूद आक्रोश को भली-भांति समझ सकता हूं। यह एक कल्चरल शॉक जैसा है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। यह मामला 23 जुलाई को जंतर-मंतर के प्रदर्शन के दौरान का है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने रुचिका के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को रुचिका पर जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि के आरोप में केस दर्ज किया था। इससे पहले भाजपा ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस हिंसा में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले से संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। हम युवाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर पुलिसकर्मियों पर हमले में अपराधी शामिल हैं, तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थिति यह है कि इन अपराधियों पर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं।

राघव चड्ढा ने सदन में विपक्ष पर साधा निशाना

'पहले सवाल मेरा हथियार था, अब समाधान मेरी जिम्मेदारी'

नई दिल्ली। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी थी, और अब समस्याओं का समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। सदन में चड्ढा ने कहा, 'जब मैं विपक्ष में था, तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंच पर हूं, इसलिए मुश्किलों का हल निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने खुद से वादा किया था कि जब व्यवस्था में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठेंगे, तभी मैं इस मुद्दे पर संसद में बोलूंगा। मुझे सुर्खियां नहीं, बल्कि नतीजे चाहिए थे।' राघव चड्ढा ने कहा कि वह पेपर लीक की समस्या से जुड़े छात्रों की पीड़ा को व्यक्तिगत रूप से समझते हैं। उन्होंने बताया कि वह स्वयं कभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र रहे है और प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों तथा अभ्यर्थियों की

मेहनत से भली-भांति परिचित हैं। इस बीच राघव चड्ढा ने पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार द्वार उठाए मुद्दों की सराहना की है।

संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल ने चंदा दिया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन; मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस

नई दिल्ली। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधु के कपड़े पहनकर शुक्रवार को संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी को दिखाने वाला प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ विपक्ष के कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यह प्रदर्शन अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित चोरी और 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया गया।

विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की

इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सदन की कार्यवाही में अमित

शाह की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाए। सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए- 'अमित शाह इस्तीफा दो', 'अमित शाह सदन में आओ' और 'चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़'। सांसदों ने संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने दान पेटियां रखीं। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव साधु के भेष में इन पेटियों के साथ बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान एक नाटक के जरिये संदेश देने की कोशिश की गई। इसमें राहुल गांधी समेत अन्य सांसदों ने पेटियों में पैसे डाले। वहीं, पप्पू यादव ने पैसे अपनी जेब में रखे और इसे राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों के प्रतीक के तौर पर दिखाया।

कौन-कौन सांसद हुए शामिल?

इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद और धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। सभी सांसद एक बड़े बैनर के पीछे खड़े थे, जिस पर लिखा था- अमित शाह सदन से गायब क्यों?

विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहता है?

इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि वह सरकार को कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 'कठोर कार्रवाई' के मुद्दे पर घेरता रहेगा।

संसद में पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. यह बैठक ऐसे समय में हुई जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार अमित शाह के सदन में आने की और उनके इस्तीफे की मांग करता रहा.

विपक्ष के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक' को मंजूरी दे दी. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से पेश इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया. बाद में लोकसभा की कार्यवाही सोमवार (3 जुलाई) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसमें

प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक साल बाद, लेकिन दो साल के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो इसे सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही पंजीकृत किया जा सकेगा. विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को सख्त बनाने और जन्म-मृत्यु की समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ये संशोधन लाए गए हैं. संसद में हुए हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि सभी सदस्य इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लें और इसके लिए समय भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया गया था. उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे बाहर जाकर यह न कहें कि बिल बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया. वहीं राज्यसभा में नीट के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और अन्य विषयों को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 जुलाई को भी संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसमें वेस्ट एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय नाविक की मौत को भारत सरकार पुरजोर तरीके से उठाएगी और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जूडो में भारत का 'गोल्डन डबल'

शानदार शुक्रवार : ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजों का विजयी पंच

नई दिल्ली।

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए शुक्रवार का दिन शानदार रहा। भारतीय जूडो खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए तो मुक्केबाजों में जैस्मीन लैंबोरिया (57 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा) और जादुमणि सिंह (55 किग्रा) ने फाइनल में प्रवेश करते हुए कम से कम रजत पदक पक्के कर लिए। अस्मिता और हर्ष के स्वर्ण ने भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या को पांच तक पहुंचा दिया।

त्रिपुरा की 23 वर्षीय अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की हाइडी क्वाच को

रोमांचक गोल्डन स्कोर मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अस्मिता की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती दौर में उन्होंने एक युको अंक गंवाया और फिर पेनाल्टी मिलने से कनाडाई खिलाड़ी बढ़त पर पहुंच गईं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। निर्धारित चार मिनट में कोई भी

भारतीय जूडोका अस्मिता डे का ऐतिहासिक स्वर्ण, हर्ष ने भी हासिल किया सोना

निर्णायक अंक नहीं बना, जिसके बाद मुकाबला गोल्डन स्कोर में पहुंचा।

यहां अस्मिता ने दबाव में बेहतरीन आक्रमण करते हुए एक और युको हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। 23 वर्षीय हर्ष सिंह ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने कई बार के ओशिनिया चैंपियन, पूर्व ओलंपियन और बर्मिंघम 2022 के कांस्य पदक विजेता जोशुआ कात्ज को हराया। हर्ष ने मुकाबला खत्म होने से 41 सेकेंड पहले शानदार वाजा-अरी दांव लगाकर बढ़त बनाई और फिर अंत तक उसे बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण जीत लिया। 'गोल्डन डबल' लगाने उतरेंगे मुक्केबाज शुक्रवार को जैस्मीन, जादुमणि, अंकुश, प्रीति और अरुंधति ने अपने-अपने वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में एकतरफा जीत दर्ज की। शनिवार को ये सभी स्वर्ण पदक जीतने के लिए रिंग में उतरेंगे।

10 भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ पहले ही 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की सफलता को पीछे छोड़ चुके हैं। बर्मिंघम में मुक्केबाजी में भारत को सात पदक मिले थे, जिनमें से तीन स्वर्ण पदक थे।

ताहिर समेत 5 को उम्रकैद

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था।

सजा पर हुई बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत से कहा था कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित, निर्मम और समाज में भय का माहौल पैदा करने वाली थी। उन्होंने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए सभी दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि इस तरह के अपराध पर कठोरतम दंड दिया जाना आवश्यक है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। वहीं, बचाव पक्ष ने मृत्युदंड का विरोध

करते हुए अदालत से कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता। बचाव पक्ष ने दोषियों की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों सहित अन्य आधारों का हवाला देते हुए उन्हें मृत्युदंड न देने और कम सजा देने का अनुरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था। कोर्ट ने कहा की अंकित को जानवरों की तरह मारा गया और मारने के बाद भी शव को नाले में फेंका गया। समाज को झकझोरने वाला मामला है। दोषियों के परिवार ने आश्रित होने की बात कहकर सजा कम करने की मांग बचाव पक्ष ने की है लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन ने ताहिर के घर को दंगों का लॉन्च पैड बताया लेकिन ये इस केस के चार्ज से जुड़ा नहीं है।

संसद: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग करता रहा। हालांकि, इस बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। यह विधेयक बिना किसी चर्चा के मंजूर हुआ। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भाजपा सांसद दिलीप सैकिया की अध्यक्षता में विधेयक को चर्चा और मंजूरी के लिए पेश किया गया। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस दौरान कई विपक्षी सांसद सदन के बीचों-बीच पहुंच गए और गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में हिस्सा नहीं लेने को लेकर विपक्ष पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस अहम विधेयक पर चर्चा चाहती थी। रिजिजू ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने आपको संसद भेजा है, वे आपसे जवाब मांगेंगे। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि वे भविष्य में विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लें, न कि सदन की कार्यवाही बाधित करें। दिलीप सैकिया ने भी कहा कि विपक्ष के सहयोग के बिना विधेयक पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के कुछ प्रावधानों में बदलाव करता है। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की समय पर जानकारी दर्ज कराने को बढ़ावा देना है।

विधेयक में देरी से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराने के नियमों को सख्त किया गया है। अब घटना के दो साल से ज्यादा समय बाद पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। मौजूदा कानून में एक साल से ज्यादा देरी होने पर जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है। नए कानून में दो साल तक की देरी के लिए यही व्यवस्था जारी रहेगी।

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।